भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2522

03 अगस्त, 2021 के लिए प्रश्न

गेहूं और चावल का अधिशेष भंडार

2522. श्री रवि किशन:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री चंद्र शेखर साहू:
श्री संजय सदाशिराव मांडलिक:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में उपलब्ध गेहूं और चावल के अधिशेष भंडार को भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई।) द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु खाद्य की कमी वाले राज्यों में भेजा जाता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभिन्न अधिशेष राज्यों द्वारा आवाजाही योजना की तैयारी हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या आवाजाही योजना तैयार करते हुए, एफसीआई ने रेल मंत्रालय की बदलती मूल्य निर्धारण नीति के लिए छूट प्राप्त निर्धारित अवधि अर्थात् जुलाई-सितबंर के दौरान इष्टतम आपूर्ति को स्वीकार किया;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना को किस हद तक सफलता मिली है;

(घ) अभी तक रेल मंत्रालय की बदलती मूल्य निर्धारण नीति के शामिल किये जाने बाद एफसीआई द्वारा कितने रेकों की मांग की गई और उपलब्ध रेकों की संख्या संबंधी माह-वार ब्यौरा क्या है; और

(ड) क्या एफसीआई ने बदलती मूल्य निर्धारण नीति की शुरुआत से रेलवे के माध्यम से खाद्यान्न के परिवहन पर हुए परिहार्य अधिक व्यय का पता लगाने के लिए कोई मूल्यांकन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): जी, हां। राज्यों से गेहूं और चावल के अधिशेष स्टॉक को भारतीय खाद्य निगम द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कमी वाले राज्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भेज दिया जाता है। अधिशेष वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों को भेजे गए गेहूं और चावल के खाद्यान्नों के स्टॉक का ब्यौरा **अनुबंध-क** में संलग्न है। संचलन योजना बनाने के लिए मांनदंड निम्नानुसार हैं-

.......2/-

i. अधिशेष क्षेत्रों में उपलब्ध मात्रा;

ii. कमी वाले राज्यों के लिए अपेक्षित मात्रा;

iii. संभावित खरीद;

iv. उपभोग और खरीद, दोनों क्षेत्रों में रिक्त भंडारण क्षमता;

v. खाद्यान्नों का मासिक आंवटन/उठान।

(ख): उपर्युक्त मानदंडों को ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य निगम द्वारा मासिक संचलन योजना तैयार की जाती है, जिससे भारतीय खाद्य निगम वर्ष के दौरान उपलब्ध भंडारण क्षमता का लाभकारी उपयोग कर पाता है, स्थिर की अपेक्षा जो एक गतिशील प्रक्रिया है।

(ग): कमी वाले मौसम और व्यस्त मौसम के दौरान देश में खाद्यान्नों के लदान में उपलब्धि के औसत प्रतिशत का ब्यौरा **अनुबंध-ख** में संलग्न है।

(घ): भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गई मांग और रेलवे द्वारा उपलब्ध कराये गये रैकों का ब्यौरा **अनुबंध-ख** में संलग्न है।

(ङ.): जी, नहीं। तथापि, कमी वाले मौसम के महीनों के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने अधिक रैकों को उस समय भेजा जब गतिशील मूल्य निर्धारण नीति लागू थी। व्यस्त मौसम के महीनों के दौरान रेलवे द्वारा पूर्व में इस नीति के तहत खाद्यान्नों हेतु लिए जाने वाले व्यस्त मौसम प्रभारों को 01.10.2019 से हटा लिया गया है।

******

अनुबंध क

लोक सभा में दिनांक 03.08.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 2522 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित विवरण

अधिशेष वाले राज्यों से गेहूं भेजना			(आंकड़े 000 टन में)
राज्य	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
	भेजा गया	**भेजा गया**	**भेजा गया**
पंजाब से	7587	8741	10446
हरियाणा से	4701	5219	6803
कर्नाटक से	4	5	6
उत्तर प्रदेश से	124	93	0
मध्य प्रदेश से	1692	1577	6072
राजस्थान से	56	0	58
कुल	**14164**	**15635**	**23385**
अधिशेष वाले राज्यों से चावल भेजना			
राज्य	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
	भेजा गया	**भेजा गया**	**भेजा गया**
पंजाब से	10351	7233	13636
हरियाणा से	3338	2584	5259
आंध्र प्रदेश से	2749	2030	1573
पश्चिम बंगाल से	0	13	0
छत्तीसगढ़ से	1682	1542	2745
कर्नाटक से	28	41	41
उत्तर प्रदेश से	132	309	152
उत्तरांचल से	21	304	334
मध्य प्रदेश से	0	55	42
ओडिशा से	1141	1811	1645
तेलंगाना से	0	2731	4747
कुल:	**19442**	**18653**	**30174**
अधिशेष वाले राज्यों से गेहूं + चावल भेजना			
राज्य	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
	भेजा गया	**भेजा गया**	**भेजा गया**
पंजाब से	17938	15974	24082
हरियाणा से	8039	7803	12062
आंध्र प्रदेश से	2749	2030	1573
पश्चिम बंगाल से	0	13	0
छत्तीसगढ़ से	1682	1542	2745
कर्नाटक से	32	46	47
उत्तर प्रदेश से	256	402	152
उत्तरांचल से	21	304	334
मध्य प्रदेश से	1692	1632	6114
ओडिशा से	1141	1811	1645
राजस्थान से	56	0	58
तेलंगाना से	0	2731	4747
कुल:	**33606**	**34288**	**53559**

***

अनुबंध-ख

लोक सभा में दिनांक 03.08.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 2522 के उत्तर के भाग (ग) और (घ) में उल्लिखित अनुबंध

अखिल भारत के लिए अंतर-राज्य खाते पर खाद्यान्न के रेकों की योजना और पारेषण (रेकों के संदर्भ में आंकड़े)

वर्ष : 2011-12

माह		योजना (एफसीआई द्वारा की गई मांग)	पारेषण (रेलवे द्वारा उपलब्ध रेक)	%
व्यस्त मौसम	अप्रैल'11	1187	1001	84
	मई'11	970	823	85
	जून'11	959	724	75
कमी वाले मौसम	जुलाई'11	959	925	96
	अगस्त'11	986	914	93
	सितम्बर'11	963	915	95
व्यस्त मौसम	अक्तूबर'11	1088	949	87
	नवंबर'11	1199	602	50
	दिसंबर'11	1186	949	80
	जनवरी'12	1215	1038	85
	फरवरी'12	1342	1064	79
	मार्च'12	1161	1065	92
	कुल	13215	10969	83

वर्ष : 2012-13

माह	योजना (एफसीआई द्वारा की गई मांग)	पारेषण (रेलवे द्वारा उपलब्ध रेक)	%
अप्रैल'12	967	762	79
मई'12	687	728	106
जून'12	1047	840	80
जुलाई'12	1002	827	83
अगस्त'12	1100	1064	97
सितम्बर'12	1074	933	87
अक्तूबर'12	1223	1058	87
नवंबर'12	1234	968	78
दिसंबर'12	1583	1056	67
जनवरी'13	1314	1177	90
फरवरी'13	1300	1160	89
मार्च'13	1359	1205	89
कुल	13890	11778	85

वर्ष : 2013-14

माह	योजना (एफसीआई द्वारा की गई मांग)	पारेषण (रेलवे द्वारा उपलब्ध रेक)	%
अप्रैल'13	1206	1128	94
मई'13	1151	1123	98
जून'13	1021	908	89
जुलाई'13	989	1000	101
अगस्त'13	1156	1113	96
सितम्बर'13	1133	1025	90
अक्तूबर'13	1163	1114	96
नवंबर'13	1306	914	70
दिसंबर'13	1436	1050	73
जनवरी'14	1498	1214	81
फरवरी'14	1458	1135	78
मार्च'14	1372	1270	93
कुल	14889	12994	87

वर्ष : 2014-15

माह	योजना (एफसीआई द्वारा की गई मांग)	पारेषण (रेलवे द्वारा उपलब्ध रेक)	%
अप्रैल'14	1324	1094	83
मई'14	1397	1143	82
जून'14	1185	1022	86
जुलाई'14	1250	1058	85
अगस्त'14	1186	1109	94
सितम्बर'14	1249	1055	84
अक्तूबर'14	1362	1251	92
नवंबर'14	1373	1142	83
दिसंबर'14	1415	1129	80
जनवरी'15	1406	1187	84
फरवरी'15	1410	1146	81
मार्च'15	1306	1229	94
कुल	15863	13565	86

2011-12 में योजना की तुलना में कमी वाले मौसम महीनों में उठान का औसत प्रतिशत	95
2012-13 में योजना की तुलना में कमी वाले मौसम महीनों में उठान का औसत प्रतिशत	89
2013-14 में योजना की तुलना में कमी वाले मौसम महीनों में उठान का औसत प्रतिशत	96
2014-15 में योजना की तुलना में कमी वाले मौसम महीनों में उठान का औसत प्रतिशत	87
2011-12 में योजना की तुलना में शेष नौ माह में उठान का औसत प्रतिशत	80
2012-13 में योजना की तुलना में शेष नौ माह में उठान का औसत प्रतिशत	84
2013-14 में योजना की तुलना में शेष नौ माह में उठान का औसत प्रतिशत	85
2014-15 में योजना की तुलना में शेष नौ माह में उठान का औसत प्रतिशत	85

नोट : रेलवे ने दिनांक 01.10.2019 से खाद्यान्नों के लिए व्यस्त मौसम की लेवी को शुद्धि पत्र सं. 1 से रेक्स मास्टर परिपत्र/2015/0 दिनांक 12.09.2019 के जरिए वापस ले लिया है।

अनुबंध-ख

लोक सभा में दिनांक 03.08.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 2522 के उत्तर के भाग (ग) और (घ) में उल्लिखित अनुबंध

PLAN AND DESPATCHES OF FOODGRAIN RAKES ON INTER STATE ACCOUNT FOR ALL INDIA (Fig. In terms of Rakes)

वर्ष : 2015-16

	माह	योजना (एफसीआई द्वारा की गई मांग)	पारेषण (रेलवे द्वारा उपलब्ध रेक)	%
व्यस्त मौसम	अप्रैल'15	1049	781	74
	मई'15	999	861	86
	जून'15	865	785	91
कमी वाले मौसम	जुलाई'15	1000	989	99
	अगस्त'15	1088	992	91
	सितम्बर'15	1114	912	82
व्यस्त मौसम	अक्तूबर'15	902	806	89
	नवंबर'15	979	869	89
	दिसंबर'15	1145	1036	90
	जनवरी'16	1148	1116	97
	फरवरी'16	1112	952	86
	मार्च'16	1085	1012	93
	कुल	12486	11111	89

वर्ष : 2016-17

माह	योजना (एफसीआई द्वारा की गई मांग)	पारेषण (रेलवे द्वारा उपलब्ध रेक)	%
अप्रैल'16	997	866	87
मई'16	939	703	75
जून'16	1090	841	77
जुलाई'16	1136	1005	88
अगस्त'16	1223	1112	91
सितम्बर'16	1326	1070	81
अक्तूबर'16	1251	951	76
नवंबर'16	1345	1011	75
दिसंबर'16	1396	905	65
जनवरी'17	1298	1114	86
फरवरी'17	1425	1057	74
March'17	1421	1184	83
कुल	14847	11819	80

वर्ष : 2017-18

माह	योजना (एफसी आई द्वारा की गई	पारेषण (रेलवे द्वारा उपलब्ध रेक)	%
अप्रैल'17	1388	998	72
मई'17	1143	955	84
जून'17	1077	902	84
जुलाई'17	1054	946	90
अगस्त'17	1110	928	84
सितम्बर'17	1113	932	84
अक्तूबर'17	1094	940	86
नवंबर'17	1137	915	80
दिसंबर'17	1159	1054	91
जनवरी'18	1211	1127	93
फरवरी'18	1148	1001	87
March'18	1075	1019	95
कुल	13709	11717	85

वर्ष : 2018-19

माह	योजना (एफसीआई द्वारा की गई मांग)	पारेषण (रेलवे द्वारा उपलब्ध रेक)	%
अप्रैल'18	937	823	88
मई'18	787	748	95
जून'18	823	701	85
जुलाई'18	906	824	91
अगस्त'18	1069	875	82
सितम्बर'18	1143	874	76
अक्तूबर'18	1203	954	79
नवंबर'18	1141	693	61
दिसंबर'18	1172	907	77
जनवरी'19	1186	1042	88
फरवरी'19	1128	898	80
March'19	1011	952	94
कुल	12506	10291	82

वर्ष : 2019-20

माह	योजना (एफसीआई द्वारा की गई मांग)	पारेषण (रेलवे द्वारा उपलब्ध रेक)	%
अप्रैल'19	907	740	82
मई'19	759	712	94
जून'19	831	732	88
जुलाई'19	916	815	89
अगस्त'19	943	839	89
सितम्बर'19	1018	886	87
अक्तूबर'19	980	869	89
नवंबर'19	998	900	90
दिसंबर'19	1005	983	98
जनवरी'20	1091	983	90
फरवरी'20	1092	1047	96
March'20	1019	894	88
कुल	11559	10400	90

वर्ष : 2020-21

माह	योजना (एफसीआई द्वारा की गई मांग)	पारेषण (रेलवे द्वारा उपलब्ध रेक)	%
अप्रैल'20	2054	1988	97
मई'20	1591	1457	92
जून'20	1451	1349	93
जुलाई'20	1731	1537	89
अगस्त'20	2075	1858	90
सितम्बर'20	2089	1864	89
अक्तूबर'20	1900	1372	72
नवंबर'20	1914	1384	72
दिसंबर'20	1971	1653	84
जनवरी'21	1313	1116	85
फरवरी'21	984	898	91
March'21	873	777	89
कुल	19946	17253	86

2015-16 में योजना की तुलना में कमी वाले गौसम महीनों में उठान का औसत	90
2016-17 में योजना की तुलना में कमी वाले मौसम महीनों में उठान का औसत	86
2017-18 में योजना की तुलना में कमी वाले मौसम महीनों में उठान का औसत	86
2018-19 में योजना की तुलना में कमी वाले मौसम महीनों में उठान का औसत	83

2015-16 में योजना की तुलना में शेष नौ माह में उठान का औसत प्रतिशत	89
2016-17 में योजना की तुलना में शेष नौ माह में उठान का औसत प्रतिशत	77
2017-18 में योजना की तुलना में शेष नौ माह में उठान का औसत प्रतिशत	85
2018-19 में योजना की तुलना में शेष नौ माह में उठान का औसत प्रतिशत	82

नोट : रेलवे ने दिनांक 01.10.2019 से खाद्यान्नों के लिए व्यस्त मौसम प्रभारों की लेवी को शुद्धि पत्र सं. 1 से रेट्स मास्टर परिपत्र/2015/0 दिनांक 12.09.2019 के जरिए वापस ले लिया है।